

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(179)नविवि/3/2009


जयपुर, दिनांक 10/01/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना क्रमांक: प.10(179)नविवि/3/2010 दिनांक 31.05.2012 द्वारा अधिसूचित लालसोट के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

इस विभाग द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी नगरीय क्षेत्र, लालसोट की अधिसूचना क्रमांक: 10(179)नविवि/3/2009 दिनांक 13.01.2010 समसंख्यक संशोधित अधिसूचना दिनांक 11.03.2011, 12.04.2012 एवं 24.02.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए लालसोट के नगरीय क्षेत्र हेतु अधिसूचित राजस्व ग्रामों की सूची के अंत में राजस्व ग्राम "सलेमाबाद" को सम्मिलित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
10/1/2022  
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर, दौसा।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लालसोट।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. जिला नगर नियोजक, दौसा।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक.....में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय